Case No :- 89/2020
RCMS No :- 2020/00299

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/7/21	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत लो.सू.अ. (ADM) पाली के विरुद्ध पेश की गई थी। लो.सू.अ. (ADM) पाली ने अपीलांट द्वारा वांछित सूचना जिला रसद अधिकारी से सम्बन्धित होने से जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./(6)(3)/366/2020/1752 दिनांक 28/10/2020 के अन्तरित की गई थी। लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी) पाली ने जरिये पत्रांक/रसद/आर.टी.आई/1377 दिनांक 3/6/21 के अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना जरिये पत्रांक 1376 दिनांक 3/6/21 के उपलब्ध करवा दी गई है। इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु अपीलांट को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस क्र. 945 दिनांक 21/6/21 को भिजवाया गया। इसके उपरान्त भी अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ। अतः यह माना जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उनको प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। Sd/- जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:39:18 IST
Reason: SelfAttested